



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112021-230969
CG-DL-E-08112021-230969

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4246]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 8, 2021/कार्तिक 17, 1943

No. 4246]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 8, 2021/KARTIKA 17, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2021

सं. 41 / 2015-2020

विषय:—पशु उपोत्पाद की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 4609(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 35 की क्रम सं. 173 पर मद विवरण हेतु पशु उपोत्पाद की निर्यात नीति को संशोधित करने वाली अधिसूचना सं. 34 / 2015-20 दिनांक 13.01.2017 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती हैं :-

2. अध्याय 35 की क्रम सं. 173 के तहत मौजूदा मद विवरण को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

क्र.सं.	प्रशुल्क मद एचएस (कोड)	इकाई	मौजूदा मद विवरण	संशोधित मद विवरण
173	35040010	कि.ग्रा.	पेप्टोन्स; अन्य	समुद्री या गोजातीय या कुक्कूट मूल के कोलाजन पेप्टाइड्स (जिसे कोलाजन, कोलाजन हाइड्रोलाइसेट, हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन या हाइड्रोलाइज्ड जिलेटिन भी कहा जाता है) और मछली प्रोटीन सहित पेप्टोन्स।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव: अधिसूचना सं. 34/2015-20 दिनांक 13.01.2017 में क्रम सं. 173 पर आईटीसी एचएस कोड 35040010 के मद विवरण को समुद्री या गोजातीय या कुक्कुट मूल के कोलाजन पेप्टाइड्स को शामिल करने हेतु संशोधित किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/171/149/ईसी/एम21 (ई22171)]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2021

No. 41 /2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of Animal By-products.

S.O. 4609(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment in Notification No. 34/2015-20 dated 13.01.2017 amending the Export Policy of Animal By-Products for the item description at Serial Number 173 of Chapter 35 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items, with immediate effect:

2. The existing item description against Serial Number 173 in Chapter 35 shall be amended as follows:

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Existing Item description	Revised item description
173	35040010	Kg	Peptones; Others	Peptones including Collagen Peptides of marine or bovine or Poultry origin (also referred to as Collagen, Collagen Hydrolysate, Hydrolysed Collagen or Hydrolysed Gelatin) and Fish Protein.

3. Effect of this Notification:

Item description of ITC HS Code 35040010 at Serial No.173 in the Notification No.34/2015-20 dated 13.01.2017 has been amended to include Collagen Peptides of marine or bovine or Poultry origin.

[F. No. 01/91/171/149/EC/AM21 (E22171)]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.